न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—18ए/2014</u> <u>संस्थापन दिनांक—25.02.2014</u> <u>फाईलिंग क.234503003082014</u>

1—अगनू पिता सम्पत्तिहं, उम्र—57 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—सुधोबाई पिता सम्पतिसंह, उम्र—57 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम नयाटोला, तहसील बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

- <u>वादीगण</u>

विरुद्ध

1—घंसू पिता अकलू, उम्र—70 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—महिपाल पिता अकलू, उम्र—60 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम केवलारी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — <u>प्रतिवादीगण</u>

-:// <u>निर्णय</u> //:-<u>(आज दिनांक-27/08/2015 को घोषित)</u>

1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह व्यवहार वाद ग्राम केवलारी पटवारी हल्का नम्बर—20, रा.नि.मं. व तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर—62, रकबा 22.92 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) वादीगण की पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 द्वारा

उक्त भूमि पर नाम दर्ज कराकर बंटवारा को प्रभावशून्य घोषित किये जाने और प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 से भूमि का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण की मॉ बिराजोबाई का प्रथम विवाह प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 के पिता अकलू से हुआ था। अकलू के संसर्ग से बिराजोबाई को तीन सन्तान दो पुत्र एवं एक पुत्री क्रमशः प्रतिवादी क्रमांक—1 घंसू, प्रतिवादी क्रमांक 2 महिपाल एवं बजरोबाई उत्पन्न हुये। अकलू की मृत्यु होने के पश्चात् बिराजोबाई ने वादीगण के पिता सम्पतिसंह से दूसरा विवाह कर लिया तथा सम्पतिसंह के संसर्ग से वादीगण उत्पन्न हुये।
- वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादीगण के पिता सम्पतसिंह की है। अकलू की कोई अचल सम्पत्ति न होने से बिजारोबाई ने अकलू की सन्तान प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 एवं उसकी बहन को सम्पतिसंह के घर ला लिया था तथा वे वादीगण के पिता के साथ रहने लगे जिनका बाद में वादीगण के पिता ने विवाह कराया। वादीगण के पिता की मृत्यु के समय वादीगण छोटे थे तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 बड़े हो गये थे उस समय प्रतिवादी कमांक-1 व 2 वादीगण के परिवार में निवास करते हुये वादीगण की पैतृक भूमि पर कास्त करते थे। वादी क्रमांक-1 जब बड़ा होकर खाने-कमाने बाहर जाने लगा और वादी क्रमांक-2 का विवाह होने पर वह ससुराल में निवास करने लगी तथा वादीगण की माँ के पहले पति की सन्तान होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 पर भरोसा करते हुये वादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में ध्यान नहीं दिया। उक्त का फायदा उठाते हुये प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने वादीगण की पिता की मृत्यु पश्चात् उनकी पैतृक भूमि के राजस्व अभिलेख में चोरी छुपे प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने अपना नाम शामिल शरीक दर्ज करा लिया। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 ने विवादित भूमि में से बचत भूमि खसरा नम्बर–62/2, रकबा 20.91 एकड़ भूमि का बंटवारा कराकर प्रतिवादी क्रमांक–1 ने रकबा 7.91 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी कमांक-2 ने रकबा 7.00 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का स्वत्व न होने से उन्हें विवादित भूमि पर कोई हक प्राप्त नहीं होता है।
- 4— वादीगण का यह भी अभिवचन है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 से वादीगण का दो वर्ष पूर्व विवाद होने पर इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि वादीगण

की पैतृक सम्पत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 ने चोरी छुपे राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करा लिया। विवादित भूमि में से खसरा नम्बर—62/1, रकबा 7.91 एकड भूमि घंसू के नाम पर, खसरा नम्बर—62/5 रकबा 7.00 एकड़ भूमि महिपाल के नाम पर तथा खसरा नम्बर—62/6 रकबा 2.95 एकड़ भूमि वादी क्रमांक—1 के नाम पर दर्ज है वादी क्रमांक—1 को प्राप्त भूमि में से कुछ भूमि वादी क्रमांक—1 द्वारा विक्रय कर दी गई है। वादीगण ने सम्पूर्ण विवादित भूमि पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने व विवादित भूमि के बटवारे के संबंध में दर्ज की गई संशोधन पंजी को प्रभावशून्य घोषित कर प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 से भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है।

प्रतिवादी क्रमांक–1 व 2 ने स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादपत्र के 5— अभिवचन से इन्कार करते हुये जवाब दावा में अभिवचन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता सम्पतिसंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 तथा बजरोबाई के पिता अकलू सगे भाई थे। विवादित भूमि उनकी खानदानी भूमि है। प्रतिवादीगण मे पिता अकलूसिंह की मृत्यू पश्चात छोटे भाई सम्पतसिंह ने प्रतिवादीगण की माँ विजारोबाई से जाति रीति रिवाज के अनुसार चुड़ी पहनाकर पत्नी बनाया था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरूष फकीर के दोनों पुत्रों अकलूसिंह एवं सम्पतसिंह के वारसान है इस कारण विवादित भूमि पर प्रातिवादीगण का भी 1/2 अंश का हक प्राप्त है। उभयपक्ष के बीच पूर्व में विवादित भूमि का आधा-आधा अंश का बंटवारा सभी की सहमति के अनुसार होने पर वर्ष 1996 में राजस्व अभिलेख में उक्त बंटवारा इन्द्राज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये गये और उसके अनुसार सभी अपने-अपने हिस्से पर काबिज कास्त चले आ रहे हैं। उक्त बंटवारा के पश्चात् वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी इस कारण वादी के पास वर्तमान में 2 एकड़ 95 डिसमिल भूमि ही बची है तथा वादी कमांक-1 ने रकबा 6.50 एकड़ भूमि का विक्य कर दिया है। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

6— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—3 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

72 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा केवलारी, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 62 रकबा 22. 92 एकड़ भूमि पर वादीगण का एकमात्र स्वत्व है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि के बंटवारे के संबंध में दर्ज की गई संशोधन पंजी कमांक—12 / 8, दिनांक—28.08.1996 वादीगण पर प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या उक्त विवादित भूमि का वर्तमान खसरा नम्बर 62/1, 62/5 रकबा क्रमशः 7.91, 7.00 एकड़ भूमि का बादीगण, प्रतिवादीगण क्रमांक—1 व 2 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादीगण का वाद समयावधि बाह्य है ?	हॉ
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—ः <u>सकारण निष्कर्ष</u> ःः— <u>वादप्रश्न क्रमांक—1 का निराकरण</u>

8— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि विवादित भूमि पर उनका एकमात्र स्वत्व है। विवादित भूमि पर वादीगण का एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने के संबंध में वादीगण का मुख्य आधार यह है कि विवादित भूमि उनके पिता सम्पतिसंह के स्वामित्व की थी जिस पर उसके वारसान अर्थात् वादीगण को ही हक प्राप्त होता है। वादीगण ने विवादित भूमि पर एकमात्र सम्पतिसंह का स्वत्व प्राप्त होने के संबंध में विवादित भूमि के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—9 पेश किया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर 62 रकबा 22.92 एकड़ भूमि पर सम्पतिसंह को विरासतन हक में प्राप्त होने के आधार पर उसका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हुआ। यद्यपि पश्चात् में संशोधन के माध्यम से सम्पतिसंह के फौत होने पर उसके वारिस के रूप में वादी क्रमांक—1 के अलावा प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 का नाम भी दर्ज हो गया।

- 9— प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादी कमांक 1 व 2 के पिता अकलु की मृत्यु मूल पुरूष फकीर के पूर्व होने से तथा फकीर की मृत्यु उपरान्त उसके जीवित पुत्र सम्पतिसंह के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हुई किन्तु जब सम्पतिसह फौत हुआ तो विवादित भूमि पर सभी वारसानगण अर्थात् वादी कमांक—1, प्रतिवादी कमांक—1 व 2 का नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अपने वादपत्र में वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक—1 व 2 के पिता आपस में भाई—भाई होने के संबंध में अभिवचन किये गये है तथा प्रतिवादी महिपाल (प्र.सा.1) सोनिसंह (प्र.सा.2) एवं प्रतापिसंह (प्र.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में उक्त अभिवचन अनुरूप कथन किये हैं, जिनका खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में वादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।
- 10— स्वयं वादी साक्षी धीरजलाल (वा.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अकलू और सम्पतिसंह दोनों भाई थे और उनके पिता का नाम फकीर था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पास जो भूमियाँ है वह उनकी खानदानी भूमि है जिनका उन्होंने बंटवारा कर लिया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण के पिता सम्पतिसंह एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 के पिता अकलू आपस में सगे भाई थे और उनके पिता मूल पुरूष फकीर से विवादित भूमि प्राप्त की थी।
- 11— प्रतिवादी महिपाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये है तथा विवादित भूमि के बटवारे के संबंध में सहमित पत्र प्रदर्श डी—8, प्रदर्श डी—9 एवं प्रदर्श डी—10 की मूल प्रति पेश की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त बंटवारा की सहमित पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी कमांक—1 प्रतिवादी कमांक—1 व 2 ने विवादित भूमि के संबंध में भविष्य में विवाद न होने के उद्देश्य से बंटवारा की सहमित लिखित रूप से तैयार की थी। विवादित भूमि का वादी कमांक—1 एवं प्रतिवादी कमांक—1 व 2 के मध्य विभाजन होने के संबंध में सहमित पत्र प्रदर्श डी—10 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घंसू, मोहपाल, अगनु ने विवादित भूमि को खानदानी भूमि होने के आधार पर पंचो के सामने बंटवारा कर उक्त सहमित पत्र तैयार किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में वादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

- 12— वादी साक्षी अगनू (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके आजा फकीर के मरने के पहले ही फौत हो गया था और फकीर के फौत होने पर उसके नाम की जमीन संपत्तिहं के नाम पर दर्ज हो गई। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि मूल पुरूष फकीर के फौत होने के पहले ही अकलू की मृत्यु हो गई थी।
- 13— वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी लिखनसिंह (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी न होना स्वीकार किया है, जिस कारण उसकी साक्ष्य अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। उक्त साक्षी के कथन से वादी पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 14— प्रतिवादीगण की ओर से महिपाल (प्र.सा.1), सोनिसंह (प्र.सा.2) एवं प्रतापिसंह (प्र.सा.3) की साक्ष्य पेश की गई है, जिन्होंने प्रतिवादीगण के अभिवचन के अनुरूप कथन पेश किये हैं तथा उनके प्रतिपरीक्षण में उनके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। स्वयं वादी पक्ष की ओर से महिपाल (प्र.सा.1) के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि अकलू, फकीर की संतान है, जिसे साक्षी ने स्वीकार किया है।
- 15— प्रकरण में विवादित भूमि से संबंधित खसरा फार्म व किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013—14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—6 से यह प्रकट होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के बटवारे की सहमति के उपरान्त विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर का बटांकन होकर राजस्व अभिलेख में वादी कमांक 1, प्रतिवादी कमांक—1 व 2 का नाम अलग—अलग दर्ज हो गया है। संशोधन पंजी दिनांक—28.08.1996 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—8 मे यह उल्लेख है कि संयुक्त खातेदारी के नाम से खसरा नम्बर—62/1, रकबा 20.91 एकड़ भूमि घंसू, मिहपाल, अगनु एवं बिराजोबाई के नाम पर मौके पर विभाजन के अनुसार दर्ज की गई जिसके अनुसार मूल खसरा नम्बर में से रकबा 7.91 एकड़ भूमि घंसू को, रकबा 7 एकड़ भूमि महिपाल को, रकबा 6 एकड़ भूमि अगनु के नाम पर भूमे स्वामी के रूप में दर्ज हो गई।
- 16— प्रकरण में उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण के पिता संपत एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 के पिता अकलू

आपस में सगे भाई थे और उनके पिता मूल पुरूष फकीर थे। मूल पुरूष फकीर की मृत्यु के पूर्व ही प्रतिवादीगण के पिता अकलू की मृत्यु हो गई थी। इस कारण फकीर की मृत्यु उपरान्त उसकी संपत्ति पर वादीगण के पिता संपत का नाम दर्ज हो गया। यद्यपि संपत के फौत होने पर मात्र पुरूष वारसानगण अर्थात वादी क्रमांक—1 व प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 का नाम विवादित भूमि पर दर्ज हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि पर वादीगण के अलावा प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 का भी स्वत्व होना प्रकट होता है। वादीगण ने विवादित भूमि पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है। विवादित भूमि सभयपक्ष की खानदानी भूमि है, जिस पर दावा पेश किया होने से प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 की बहन बजरोबाई भी वाद के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित पक्षकार हैं, जिसे पक्षकार न बनाकर वादीगण ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर यह दावा पेश किया है। इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि पर एकमात्र स्वत्व होना प्रमाणित नहीं है। अतएव वादप्रशन क्रमांक—1 प्रमाणित नहीं के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 व 3 का निराकरण

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति के आधार पर विवादित 17-भूमि का बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। उक्त बंटवारा की सहमति पत्र प्रदर्श डी-10 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घंसू, मोहपाल, अगनु ने विवादित भूमि को खानदानी भूमि होने के आधार पर पंचो के सामने बंटवारा कर उक्त सहमति पत्र तैयार किया है। उक्त दस्तावेज का वादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। अगनू (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में से उसके हिस्से की भूमि का अलग पट्टा बनवाकर प्रतिवादीगण ने उसे वर्ष 1996 में दे दिया था और तब से उसके हिस्से की भूमि का पट्टा उसके पास है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि में से उसके हिस्से की भूमि को अलग-अलग विकय किया है। उक्त तथ्य से यह प्रकट होता है कि वादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि के बंटवारे की प्रारंभ से जानकारी रही है और उसने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय भी किया है। वादी कमांक-1 के उक्त कार्य व आचरण से यह प्रकट होता है कि उसे बंटवारा मान्य था, जिसे चुनौती दिए जाने से वह विबंधित है। इस प्रकार उक्त बंटवारा के आधार पर राजस्व अभिलेख में किया गया संशोधन वादीगण पर बंधनकारी होना प्रकट होता है।

18— विवादित भूमि का बंटवारा उपरान्त बंटवारा अनुसार वादी क्रमांक—1, प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 अपने—अपने अंश पर काबिज कास्त होना प्रकट होते हैं। वादीगण ने विवादित भूमि पर एकल स्वत्व प्राप्त होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है और न ही उक्त बंटवारा को निरस्त कराकर सभी अंशधारी वारसान को पक्षकार बनाते हुए नए सिरे से बंटवारा कराने का अनुतोष चाहा है। वास्तव में वादी क्रमांक—1 पर विवादित भूमि का बंटवारा बंधनकारी होने और वादी क्रमांक—2 के द्वारा उक्त बंटवारा की जानकारी होते हुए उसे निरस्त कर अपने अंश की मांग किये बिना चाहा गया अनुतोष वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा वादीगण पर बंधनकारी होकर वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 से विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक—2 व 3 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

19— वादीगण ने यह वाद विवादित भूमि पर पैतृक संपत्ति होने के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने का दावा करते हुए वादकारण दिनांक—23.12.13 को उस समय उत्पन्न होना बताया है, जब वादी कमांक—1 को प्रतिवादी पक्ष की ओर से उनकी भूमि हड़पने की धमकी देने और उनके द्वारा राजस्व प्रलेख की नकल प्राप्त कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि विवादित भूमि का बंटवारा सहमित प्रदर्श डी—10 के निष्पादन से ही उभयपक्ष को विवादित भूमि के विभाजन की जानकारी प्राप्त थी, किन्तु उक्त बंटवारा के आधार पर संशोधन पंजी के माध्यम से राजस्व अभिलेख दुरूस्त कर बंटवारा अनुसार सभी अंशधारी को अलग—अलग रकबा प्राप्त हुआ और स्वयं वादी के द्वारा उक्त अंश में से कुछ भूमि का विकय किया गया। इस प्रकार वर्ष 1996 से उक्त बंटवारा को चुनौती दिए जाने हेतु वाद कारण उत्पन्न होने के 12 वर्ष के भीतर वादीगण के द्वारा यह वाद पेश न किये जाने से वादीगण का वाद कालातीत होना प्रकट होता है। अतएव वादप्रश्न कमांक—4 सकारात्मक रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

- वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतएव वादीगण 20-का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :--
 - (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
 - (2) वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, STIMBLE STATE OF STAT